राजधानी भोपाल में स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल की स्थापना होनी चाहिये। इस आशय का प्रस्ताव बार एसोसियेशन ने भी किया है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि भोपाल में बैंकों के एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर हैं। भोपाल में ही विधि विभाग का हेड आफिस है। बैंकों के जो क्लेम हैं वे तीव्र गति से इस ट्राइब्यूनल की स्थापना से निपटाये जा सकेंगे। साथ ही भोपाल में जो भयंकर गैस त्रासदी हुई, उसके क्लेम्स का भुगतान भी दक्षता से और तीव्र गति से इस ट्राइब्यूनल की स्थापना के बाद निपटाया जा सकता है।

इसलिए मेरा अपाके माध्यम से वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि भोपाल में स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिये। जिसे आशय का प्रस्ताव इंडियन बैंकिंग एसोसियेशन ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया और वित्त मंत्रालय से किया है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने आवश्यक हैं क्योंकि लम्बे समय से भोपाल में इस आशय की मांग की जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय शीघ्र ही समचित और इस पक्ष में कदम उठायेगा।

——

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROUAL OF THE MANIPUR MUNICIPALITIES ORDINANCE, 1994

II. THE MANIPUR MUNICIPALITIES BILL, 1994

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now we take up the Legislative Business. The Statutory Resolution disapproving the Manipur Municipalities Ordinance, 1994 and the Manipur Municipalities Bill, 1994 shall be clubbed together.

Mr. Sangh Priya Gautam, you are already aware of the shortage of time. We sant to finish the business early. Please speak as briefly as possible.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, I will take very little time.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Satish Agarwal): Okay. Thank you.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1994 को प्रख्यापित मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्याक 6) का निरनुमोदन करती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर नगरपालिका विधेयक, 1994 का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस सम्मानित सदन से इसका निरनुमोदन करने की अपील करने के लिये खड़ा हुआ है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरा यह विरोध केवल रस्मी अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि यह बड़ी गंभीरता के साथ संवैधानिक प्रावधानों व कारणों के ऊपर आधारित है। यह अध्यादेश तकनीकी दृष्टि से संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है और इस सदन में इस अध्यादेश पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भले ही 13 मई को जब इस सदन का अवकाश घोषित किया गया यह लिखित में हमारे यहां की कार्यवाही में न हो कि वर्तमान सत्र केवल चुनाव सुधार कानूनों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है लेकिन सत्यता यह है कि चुनाव सुधार कानूनों के इलावा इस सत्र में और किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं इसकी दलील में यह कहना चाहता हूं कि हर चीज कोई लिखित होना आवश्यक नहीं है। इग्लैंड का संविधान अलिखित है। जिस दिन सत्र प्रारम्भ हुआ उसी दिन मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रश्न काल प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी आपत्ति रजिस्टर कराई थी कि यह सत्र अनावश्यक बुलाया गया और उतना लम्बा अवकाश संसद् के इतिहास में कभी चालू सत्र के अन्दर नहीं हुआ। यह विषय ऐसे थे जिनको पहले चालू सत्र को तीन दिन बढ़ा कर चर्चा की जा सकती थी। यह कहीं लिखित नहीं है मेरा वक्तव्य लेकिन क्या यह झुठलाया जा सकता है कि मैंने इस बात को सदन में नहीं कहा होगा। मैंने कहा, इसलिए यह सत्य है। ठीक इसी तरह से अगर कोई बात लिखित में न हो लेकिन हुई हो तो उसकी सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। प्रश्न काल, शून्य काल और विशेष उल्लेख तथा चुनाव सुधार कानूनों के इलावा किसी भी अन्य विषय पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो सकती। यह मेरा पहला कारण था क्योंकि यह मंशा थी और यह घोषणा की गई थी कि यह सत्र चुनाव सुधार कानूनों के लिए बुलाया जा रहा है। इसलिए इस अध्यादेश के विरोध का एक कारण यह है। दूसरा तकनीकी दृष्टि से यह है कि जब सत्र चालू हो तो कोई अध्यादेश पारित नहीं हो सकता। तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टि से सत्र चालू है। 13 मई को सत्र का अवकाश घोषित हुआ। 13 जून की तिथि निर्धारित की गई। संसद का अर्थ है लोक सभा और राज्य सभा। यह

अध्यादेश 24 मई को पारित किया गया और 24 मई को क्यों पारित किया गया जब 13 जून की तारीख निश्चित कर दी गई थी लोकसभा और राज्य सभा दोनों की तो 13 जून से पहले यह अध्यादेश पारित हुआ अर्थात् उस अवधि के अन्दर पारित हुआ जो सत्र चालू था। लेकिन इसमें केवल एक तकनीकी प्वाइंट यह आया कि 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 पारित हुआ एक जून 1993 से और अधिकतम 31 मई, 1994 तक इसकी अवधि थी। वह 31 मई को समाप्त होने वाली थी। क्योंकि मणिपुर नगरपालिका विधेयक 1976 में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो धारा 243, 74वें संशोधन विधेयक की धाराओं के प्रतिकूल है, उनकी अवधि 23 मई समाप्त होने वाली थी, मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार के ज्ञान मैं यह बात नहीं थी कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक 31 मई को समाप्त होगा, क्या इनको यह मालूम नहीं थी कि जो 1976 का नगरपालिका विधेयक मणिपुर का है उसकी अवधि 23 मई को समाप्त होगी? क्या इन्हें मालूम नहीं था कि 31 दिसम्बर, 1993 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कल उस सदन में माननीय शहरी विकास मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम विधेयक को बजट सत्र में लाना चाहते थे। बजट सत्र के दो भाग हैं। बजट सत्र का प्रारम्भ हुआ 22 फरवरी को और 18 मार्च को समाप्त हुआ लेकिन उसमें हम बिल नहीं लाए। एक महीने का अवकाश हुआ और 18 अप्रैल से राज्य सभा का सत्र पुनः प्रारम्भ हुआ लेकिन उसमें भी क्या आपको मालूम नहीं था कि इसकी मियाद 23 मई को खत्म होने जा रही है।

तो क्यों नहीं लाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि राष्ट्रपति जी के काम की हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति को भी अधिकार किसी प्रदेश की सरकार को भंग करने का है या नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी विचार कर चुका है। तो आदरणीय, सम्मानित, महामहिम राष्ट्रपति जी के संतोष की जो यहां पर आवश्यकता है इस अध्यादेश के जारी करने की वह किन कारणों पर आधारित है। क्या सरकारी की कमी को पूरा करने के लिए, क्या सरकार की गलतियों और खामियों को पूरा करने के लिए...(व्यवधान)

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, the hon. Member is discussing about the conduct of the President which is against the rules and procedures of this House. I need your ruling.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Not at all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): He has not committed any contempt so far. I am very much conscious of it. He did not do that.

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं यह कह रहा हूं कि मेरी कतई यह मंशा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आप जरा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: तो यह सरकार की कमी, सरकार की गलती और इस सदन का अमूल्य समय और इस देश के पैसे की लापरवाही थोथे कारणों पर नहीं की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा कि 23 तारीख तक, जब तक मियाद थी उसकी, तब तक यह अध्यादेश जारी नहीं हुआ, 24 को ही क्यों जारी हुआ। क्योंकि 23 तारीख को मियाद समाप्त हो रही थी? या तो उसके बाद जारी होता। अगर वास्तव में आपकी नीयत साफ है। करीब 77 पेज का अध्यादेश और 230 धाराएं बन करके आपके पास आई लेकिन आप छानबीन नहीं कर सके। मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। मेरे कहने का ध्येय यह है कि यह संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है। वैसे भी अध्यादेश का मतलब कार्यपालिका द्वारा पारित किया हुआ कानून है। संविधान की दृष्टि से कोई भी कानून केवल विधायिकी पारित कर सकती है। कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है केवल सीमित दशा और सीमित कारणों को छोड़ करके। इसके ऊपर भी संविधान सभा में बहुत जोरदार बहस हुई थी। मैं दो बाते उद्धृत करके 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।

4.00 P.M.

1935 के भारत सरकार के अधिनियम की धारा 43 में यह प्रावधान था कि कार्यपालिका भी समानान्तर कानून पारित कर सकती है और गवर्नर जनरल अध्यादेश भी जारी कर सकता था अति महत्वपूर्ण विषयों पर जबकि सत्र भी चालू हो। लेकिन हमारे देश की जनता अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके सम्पूर्ण विरोध में थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र संविधान की धारा 102 में जो धारा 123 है जिसके तहत

ये अध्यादेश जारी किये जाते हैं, उसमें इस बात का प्रावधान किया कि अनावश्यक रूप से कोई भी अध्यादेश जारी नहीं होगा और सत्र के दौरान अध्यादेश जारी नहीं होगा। बल्कि संविधान निर्माता बाब साहिब डा० अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा कि यह जो अध्याय है इसका शीर्षक ही गलत है। अब मान्यवर, इस अध्याय का शीर्ष क्या है, 123 से पहले जो प्रारम्भ होता है "लेजिस्लेटिव पावर्स आफ द प्रजीडेंट"। डा० अम्बेडकर ने कहा कि यह हेड ही गलत है और आर्डिनेंस शब्द को वार्षिक "आई वोंट एग्री विद दिस वर्ड"। अब मैं कोट करना चाहता हूं संविधान सभा की 23 मई, 1949 की कार्यवाही को। जब इस राष्ट्र संविधान की धारा 102 पर चर्चा हुई तो आदरणीय एच०वी० कामथ ने एक ऐतराज उठाया, जो सम्मानित सदस्य थे। आई कोट —

Dr. Ambedkar said,

"Mr. President, Sir, may I ask one last question, Is not repugnant to our ideas or conceptions of freedom and democracy, which are, I presume, Dr. Ambedkar's also, not to lay down the maximum life of an ordinance in this article?"

डा० अम्बेडकर ने इसके जवाब में जो कहा और सम्मानित पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने भी इसके पहले जो कहा था उसके जवाब में वह मैं कोट चाहता हूं:

"My own feeling is this that a concrete reason for the sentiment of hostility which has been expressed by my honourable friend, Mr. Kamath as well as my hon. friend, Mr. Kunzru, really arises by the unfortunate heading of Chapter "Legislative powers of the President". "It ought to be power to legislate when Parliament is not in Session."

यह आना चाहिए तो यही गलत है बुनियादी तौर से संविधान निर्माता शब्द मैं कोट कर रहा हूं।

I quote:

"I think if that sort of innocuous heading was given to the Chapter, all the resentment to this provision will die down. Yes, the word "ordinance" is a bad one."

This is what Mr. Ambedkar said.

"But if Mr. Kamath, with his fertile imagination, can suggest a better word, I will be the first person to accept it. I do not like the word "ordinance", but I cannot find any other word to substitute it."

आर्डिनेंस शब्द भी गलत है और इसका हैडिंग भी गलत है। दिस इज़ वट डा० अंबदकर सैड तो इन कारणों से भी यह देख रहा हूं कि इस सदन का काम है विधायिका के द्वारा कानूनों को पारित करना, यह हमारी सरकार को आदत पड़ गई है कि कार्यपालिका द्वारा कानून पारित करवाती है और इस सदन का सारा समय, अधिकतर समय अनर्गल बातों में नष्ट होता है जिनका कोई संबंध विधारिकी से नहीं है। मान्यवर, इसलिए मैं इस कारण से इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो मैंने पहले प्रारंभ में कहा था कि पहले से सरकार को या तो उस समय कार्यावलि इस सदन के सामने जो मौजूद थी उसमें जब बुलेटिन जारी होता है तो विचाराधीन विषय सर्कुलेट किए जाते हैं और कौन-कौन से विषय अगले सत्र में आयेंगे इनकी सूची भी वितरित की जाती है। किसी भी तरह से इन विषयों की सूची यानी वह उस समय जब सत्र का अवसान हुआ हमारे सामने सदन के सामने नहीं थी। इसलिए यह एक अन्य तकनीकी कारण है। इसलिए मान्यवर, जब आदत खराब हो जाएगी तो फिर वह तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि दंड नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से प्रार्थना करूंगा कि आसमान नहीं गिरेगा, कल ही यहां पर एक बात आई जब विपक्षी दल ने उन कानूनों का समर्थन नहीं किया जिनको सरकार लाना चाहती थी तो यह कह करके किया कि अगर यह कानून अगले सत्र में आ जाएगा तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। अगर मान लिजिए आपका यह समय से बाहर हो जाता अध्यादेश तब दूसरा अध्यादेश जारी कर सकते थे। लेकिन सत्र का समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं अपील करूंगा कि यह अध्यादेश का राज समाप्त हो। कार्यपालिका द्वारा कानूनों का पारित होना समाप्त हो और विधायिका ही कानून पारित करने के अपने दायित्व का निर्वाह करे। इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें और मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इस अध्यादेश को वापस ले और सदन इसका निरनुमोदन करे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Let the other

Resolution for the consideration of the Bill also be moved.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana): Without any speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Yes. Mr. Thungon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): Sir, I move:

"That the Bill to provide for constitution and organisation of municipalities in the urban areas on Manipur and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The questions were proposed.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में इस समय मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 जोकि महा-महिम राष्ट्रपति जी ने 24 मई, 1994 को जारी किया था और मणिपुर नगरपालिका विधेयक, 1994 जो कल लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, पर साथ-साथ चर्चा चल रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिए और इस विधेयक पर अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं। उपसभाध्यक्ष जी, अध्यादेश का निरनुमोदन देने का जो नोटिस मैंने दिया है, उसका सबसे प्रमुख कारण है इस अध्यादेश को जारी करने की प्रक्रिया। इस अध्यादेश को जारी करने के तरीके पर मेरा प्रमुख रूप से एतराज है और मैं यह आरोप लगाना चाहती हूं कि इस बार यह अध्यादेश सारे नियम, उप-नियम तोड़कर, संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाकर और अपनी खिल्ली उड़वाकर सरकार ने जारी कराया है।

उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि संविधान की धारा-123 अध्यादेश पारित करने की अनुमति भी देती है और अध्यादेश पारित करने की शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान करती है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जोकि अपवादस्वरूप रखे गए हैं। मगर हमारा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की सरकार ने उन अपवादों को नियम बना लिया है। धारा-123 की पूर्व शर्त है कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, सत्रावसान हो चुका हो और अचानक कोई ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उपस्थित हो जाय जिस पर कि विधेयक बनाना बहुत जरूरी हो, तो सरकार दूसरे सत्र के आने तक की प्रतीक्षा न करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी से उनकी विधायी शक्तियों का प्रयोग करवाकर अध्यादेश जारी करवा सकती है। धारा-123 यह नहीं कहती कि यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो स्वयं सत्रावसान कराकर आप अध्यादेश जारी करवाएं। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार यही हुआ है। दिनांक 13 मई को इस संसद का सत्रावसान कायदे से हो जाना चहिए था। दोनों सदनों की बैठकें अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जानी चाहिए थीं, लेकिन किसी बदनीयती के कारण, मन में कोई भय रखते हुए, मन के अंदर संशय रखते हुए सरकार ने यह काम नहीं होने दिया। सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ और अचानक बीच में एक दिन सरकार ने स्पीकर से जाकर अनुरोध किया कि बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, आप कोई रास्ता निकालिए। अब क्या रास्ता निकालें स्पीकर? सत्रावसान कर दीजिए। ठीक है, सत्रावसान कर देते हैं, मानसून सेशन बुला लूंगा। नहीं-नहीं, वह सेशन बुलाना भी जरूरी है। तो क्या करूं? सुबह को सत्रावसान करिए, शाम को राष्ट्रपति जी से दोबारा सत्र की घोषणा करवा दीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह संविधान की खिल्ली उड़ायी जाती है। इस बार यह हुआ है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि एक आरोप जो बार-बार हम सरकार पर लगाया करते थे कि सरकार के बाएं हाथ को यह नहीं पता कि सरकार का दायां हाथ क्या कर रहा है? यह इस बात का सबसे ठोस उदाहरण है। एक नहीं, दो नहीं, 6 संसदीय कार्य मंत्री हैं इस सरकार में, लेकिन जैसे कि कहते हैं:

Too many cooks spoil the broth.

ये 6-6 संसदीय कार्य मंत्री मिलकर फ्लोर मैनेजमेंट का काम नहीं कर पाते। यह एहतियात नहीं बरत सकते जोकि उनका कार्य है, उनका फर्ज है यह देखना कि जब सत्रावसान हो रहा है तो कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसके विधेयक का समय निकल रहा हो। यह समयावधि देखना, उनका फर्ज बनता था, लेकिन छै-के-छै मंत्री सोते रहे और किसी ने यह नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सिर्फ इसलिए नहीं देखा जैसाकि मैंने शुरू में आरोप लगाया है कि इनको यह पता है कि अगर सत्रावसान हो जाएगा और अगर कोई विधेयक लाने की जरूरत भी पड़ेगी तो क्या है अध्यादेश जारी करवा देंगे क्योंकि इनके यहां यह रस्म बन गयी है।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा 123वीं धारा अपवादस्वरूप आनी चाहिए थी। कभी-कभी परिस्थितियां विशेष पैदा होने पर जिसका उपयोग होना चाहिए था, उसका उपयोग चूंकि नियम के तौर पर हो रहा है, इसलिए लिथारजी आ गयी है सरकार में। सरकार के 6 संसदीय कार्य मंत्री जिनका कि काम था यह एहतियात बरतना, जिनका कि काम था यह देखने का कि वह देखें कि कहीं कोई ऐसा विधेयक तो नहीं आनेवाला जिसकी कि अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। क्योंकि उनको लगता था कि ठीक है, अगर विधेयक नहीं होगा तो हम अध्यादेश जारी करवा देंगे। जहां तक दूसरे विभागों का सवाल है, दूसरे विभाग तो आराम से सो रहे थे। मैंने कहा कि सरकार का बायां हाथ क्या कर रहा है यह दाएं हाथ को खबर नहीं। दूसरे विभाग के लोगों को, यहां तक कि यह जो शहरी विकास मंत्री हैं थुंगन साहब, इनके मंत्रालय को भी नहीं पता था कि वह छह संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर साहब के कमरे में बैठकर सत्र बढ़वा रहे थे, सत्र का अवसान नहीं करवा रहे थे। उनको तो यह लगता था कि 13 मई को जैसे ही अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित होगी, हाऊसेस एडजोर्न होंगे साइनांडाइ, उसके बाद हाऊस प्रोरोग हो जाएगा तो जो मणिपुर का बिल लाना है या चंडीगढ़ का बिल लाना है या नई दिल्ली का बिल लाना है, उसके लिए आराम से जाकर अध्यादेश जारी करवा देंगे। इनकी आंख तो तब खुली जब इन्हें पता लगा कि उनके जो सहयोगी मंत्री हैं संसदीय कार्य मंत्रालय का जो कार्य देख रहे हैं, वह स्पीकर के साथ बैठकर हाऊस प्रोरोग करने की बात करके नहीं आए बल्कि हाऊस को एक्सटेंड करने की बात करके आए हैं और हाऊस एक महीने के बाद फिर बैठेगा, दुबारा बैठेगा। दुबारा हाऊस जिस के लिए बैठा, उसका तो हश्र आपने कल देख लिया। कल जिस तरह सरकार की किरकिरी हुई है, कल जिस तरह सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और जिस तरह से इस सत्र में सरकार शक्कर घोटाले के मामले में कटघरे में खड़ी हुई है, वह सबने देखा। अगर सरकार को पता होता कि इस सत्र में उनका यह हश्र होने वाला है तो कभी भी सत्र की अवधि न बढ़वाते बल्कि 13 मई को ही सत्रावसान करके जाकर चैन की नींद सोते।

श्री संघ प्रिय मौतम: चौबे जी गए थे छब्बे जी होने, दुबे जी रह गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि अपने यहां तो आम कहावत है कि अगर नियत अच्छी हो तो भगवान भी बरकत देता है और अगर नियत बद हो तो भगवान इससे भी बुरा करता है। यह कहावत कल सच्ची साबित हुई है। बदनियत से सत्र की अवधि बढ़वाई थी तो पहले तो इनकी किरकिरी हुई, जब जाकर स्पीकर से इन्हें सत्रावसान करवाना पड़ा और फिर बाद में राष्ट्रपति जी के पास जाकर गिड़गिड़ाना पड़ा कि सुबह हमने आपसे हाऊस प्रोरोग करवाया था, कृपया आज रात को वापस दुबारा बुलाने की घोषणा कर दीजिए और इसके बाद जिस उद्देश्य को लेकर हाऊस बुलवाया था वह उद्देश्य इनका टांय-टांय फिश हुआ है। यह कल परमात्मा ने इनके साथ डिवाइन जस्टिस किया है, जिसे कहते हैं दैवीय न्याय। वह दैवीय न्याय कल इस सरकार के साथ हुआ है। जिस बद-नियत से इन्होंने यह सत्र बुलवाया था, उसका सरेआम यह रिजल्ट, यह परिणाम इनके सामने आ गया।

महोदय, मैं यह बात कह रही थी कि सारे नियमों, उपनियमों को ताक पर रखकर यह अध्यादेश जारी करवाया गया है। मैं इस पर पुनः आकर यह बात कहना चाहती हूं कि कई बार कहते हैं कि कुछ घटनाएं ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाती है। इस बार जो कार्यशैली इन्हें भुगतनी पड़ी है, इस बार की यह जो घटनाएं सत्रावसान और सत्र को दुबारा बुलाने की हुई हैं, इसने सरकार की कार्यशैली की परतें उघाड़ कर रख दी हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कम से कम सरकार अब भी चेत जाए और यह जो अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया है, संसद को टेकेन फोर ग्रांटेड लेने की जो प्रक्रिया है, पूरे पार्लियामेंट की अवमानना करने की जो प्रक्रिया है, संसद की उपेक्षा करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। धारा 123 को कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के लिए रखकर और बाकी बिलों को सामने रखकर, विधेयकों के रास्ते से लाने का अगर सरकार काम करेगी तो भी हम समझेंगे कि शायद ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है और पार्लियामेंटरी संस्थाओं को बचाने का एक बड़ा काम हम कर सकते हैं।

महोदय, जहां तक इस अध्यादेश और उसके बाद बिल के प्रावधानों का सवाल है, मैं जानती हूं कि इस बिल में आपने कोई नया प्रावधान नहीं किया है बल्कि जो चौहतरवां संविधान संशोधन आपने किया था, उसका प्रभाव प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि हर राज्य की जो नगरपालिका बिल है, उनमें संशोधन

किया जाए। चूंकि बाकी राज्य सरकारें अपने अपने नगरपालिका बिलों में संशोधन कर रही हैं, मगर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां विधानसभा को इन्होंने सस्पेंडेड एनीमेशन में रखा हुआ है, सरकार को भंग किया है, इसलिए यह कार्य भारत की संसद को करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं, उस समय सदन में आप आ गए थे या नहीं, जब पिछले सत्र में मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रस्ताव पुष्टि कराने के लिए हमारे सामने आया था जो उस समय मणिपुर के राजनैतिक हालात पर बोलते हुए बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की थी। जो वहां के गवर्नर की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के चलते कांग्रेस का स्वयं का एक बहुगुटीय पार्टी का स्वरूप उभर कर सामने आया है, उसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। वहां जिस तरह से प्रशासन बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया है, उसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। आज इन तमाम बातों को मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि उस समय मैंने एक मांग रखी थी कि वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बजाए वहां तुरन्त चुनाव कराए जाने चाहिएं, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और इसी सत्र में वह दुबारा से राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई, जिस पर मेरे सहयोगी श्री संघ प्रिय गौतम ने वहां के राजनैतिक हालात का विश्लेषण किया था।

लेकिन मैं आज उस मांग को इस बिल के संदर्भ में दोहराना चाहूंगी। आज थुंगन जी यह बिल लेकर आए हैं और इस बिल की धारा के तहत वहां 6 महीने के अंदर नगर पालिकाओं का चुनाव कराया जाना जरूरी है। यह इस बिल की मेंडेटरी धारा है, 6 महीने से ज्यादा आप टाल नहीं सकते, 6 महीने के अंदर आपको नगर पालिकाओं का चुनाव जरूरी तौर पर करवाना है। तो मेरा आज आपसे अनुरोध है क्योंकि संयोग से आप उसी पूर्वोत्तर के हैं और आप जानते हैं वहां के तमाम हालात के बारे में, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर सरकार यह मानती है कि मणिपुर के अंदर नगरपालिका के चुनाव कराने के लिए स्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए कानून और व्यवस्था ठीक है और 6 महीने में वह नगर-पालिका का चुनाव कराने की बात कर सकती है, जो कि 7 नगर पालिकाएं हैं और 21 नगर पंचायतें हैं, यानी इतने बड़े पैमाने पर जो चुनाव होना है, अगर उसके लिए एक-एक वार्ड समिति का जहां चुनाव होना है, अगर उसके लिए वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है और चुनाव करवाए जा सकते हैं तो मैं पूछना चाहती हूं कि वहां की विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? क्यों वहां की विधान सभा को आपने एनिमेटिड सस्पेंशन में रख रखा है? यही मेरा आरोप है कि "मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू" यह सरकार की नीति रही है। जब भाजपा की सरकारें बर्खास्त होती हैं तो विधान सभाएं साथ तोड़ दी जाती हैं लेकिन जब कांग्रेस की सरकार भंग की जाती है तो विधान सभा को तोड़ा नहीं जाता, विधान सभा को बर्खास्त नहीं किया जाता, विधान सभा को सस्पेंडिड एनीमेशन में रख दिया जाता है कि हो सकता है रुपए की थैली का मुंह खोलकर, हो सकता है आतंक फैलाकर, हो सकता है तरह-तरह के लालच देकर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अपना मुख्य मंत्री वहां बिना चुनाव के बनवाया जा सके और यही एक डिस्टेब्लिटी की बात है, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसने पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के अंदर आज अस्थिरता पैदा कर रखी है और मैं आपको बता रही हूं, आपके द्वारा जो अस्थिरता पैदा करने के कारण हैं उन्हीं के द्वारा वहां अलगाववाद की प्रवृत्ति पैदा हो रही है और मणिपुर में तो केवल अलगाव नहीं है, वहां का ड्रग्स ट्रेफिकिंग, वहां का एड्स आज पूरे के पूरे हिन्दुस्तान के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए मणिपुर के विशेष हालात हैं, अगर आप मणिपुर को बचाना चाहते हैं तो वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करिए केवल लेने-देने की बात करके मुख्य मंत्री बैठाने की जो आप लोगों की नीति है, उसको समाप्त करिए और तुरंत वहां विधान सभा भंग करके विधान सभा के भी चुनाव कराइए साथ में इस बिल की धारा के मुताबिक नगर पालिका के चुनाव कराइए, नगर पंचायतों के चुनाव कराइए। जब तमाम लोग शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी में लग जाएंगे तो अपने आप, यह जो कहते हैं न कि "खाली दिमाग शैतान का घर", यह जो निकम्मे बैठकर के लोग शरारतें और खुराफातें करने में लगे हुए हैं, वे लोग जब राजनीतिक प्रक्रिया में जुट जाएंगे तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे और उन्हें जब यह लगेगा कि उनका शासन दिल्ली में बैठकर कोई सरकार नहीं चला रही है, बल्कि उनके अपने लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है तो अपने लोगों के ऊपर आंच न आने देने के कारण वे ऐसे तत्वों की स्वयं सफाई करेंगे जो आज शासन में बैठकर खुराफात कर रहे हैं और उस राजनीतिक प्रक्रिया से हम केवल इसी प्रदेश को स्थिरता प्रदान नहीं करेंगे बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को स्थिरता प्रदान करेंगे और जब पूरे पूर्वोत्तर में शांति होगी तो देश भी चैन की नींद सो सकेगा। इसलिए मैं आपसे कहना

चाहती हूं कि जो आपके बिल के प्रावधान हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं लेकिन यह जो अध्यादेश आप लाए हैं, इसका निरनुमोदन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

SHRI M.M. JACOB (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I know that there is constraint of time. I don't wish to make a lengthy speech. First of all, I support the Manipur Municipalities Bill, 1994. Actually this Bill is the real need of the situation. This Bill provides:

> "(a) a Nagar Panchayat for a transitional area, that is to say, an area in transition from a rural area to an urban area;
>
> (b) a Municipal Council for a smaller urban area; and
>
> (c) a Municipal Corporation for a larger urban area, in accordance with the provisions of this Act."

One must agree that the effective way of administration is the decentralisation of the administration. That is why this Bill is brought replacing the Ordinance which was promulgated on the 24th of May.

The questions were put: Why has an Ordinance been brought? Was it regular? Yes, it is not a Constitutional impropriety. It is the responsibility of the Government to see to it that ordinances are promulgated whenever there is an urgent necessity. So, there is no Constitutional impropriety in this case. Secondly, as regards Manipur, of course, Manipur is under President's Rule and there is no Chief Minister, no Cabinet, there. It is all the more the reason why we should pass this Bill, at least, for the municipalities. When you find that there is some kind of restlessness among the people in an area, the best method of containing it and satisfying the people is not by police force alone—of course, it may be required at some stage or the other—it has to be by the will of the people, and the popular strength. When we are decentralising power through this kind of a system, naturally, people's strength is built up. In a State like Manipur, the ultimate choice will be the people's strength and that is to be respected. When the power is transferred to municipalities of three types—the larger areas under the Corporation, then the Nagar Panchayats and the Municipal Councils—you are doing a great service to the people of the plain areas of Manipur. Some people might have seen the terrain areas there. But all the areas of Manipur are not included in it. It is actually the plain area which comes under this head. The hill areas of Manipur are separate. They are not included in the municipalities. They are governed by another Act of 1971. The Minister will be able to explain it in his speech. Now, as regards the hill areas, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to the fact that there has been a persistent demand that the hill areas must be given a little more autonomy as we are thinking of for other areas; that is, to set up an autonomous council, maybe, under the Sixth Schedule or whichever way it is possible. The insurgents are always believed to be coming from across the borders and entering Mizoram through Ukhrul and other hill areas. We also know that the Nagas are fighting with the local tribes, creating problems. Some of the militants are the insurgent Nagas. Now, the Naga population is in the hilly areas. There are also Kukis who constitute a minority. Both these tribes were living together for years together without any difficulty. Then, why is it that during the last few months we find a new upsurge? This means that somebody is trying to instigate something. We have to find out what the reason is. Who is instigating these people? What is happening and why is it happening? A hill council with a little more autonomy will certainly be helpful to solve the problem in the hill areas, whether in the Naga-dominated areas or in the other areas. In the plain areas, you find some problems in the name of caste or community or in the name of old-settlers and new-settlers. Different types of things

are there. These things will also come to an end when the municipalities start functioning, when the nagarpalikas start functioning. They will take the responsibilities upon themselves. They will know what is required and what is not required. In the same way, an autonomous district council on the one side and the municipalities and the nagarpalikas on the other side will improve and soften the situation in Manipur to a great extent and we can get a good administration there which will help whichever Government comes to power later on. After all, elections are due in a few months. It is not that the Congress (I) is running away from elections. There is no other party which is able to challenge at any time, in any part of the year, elections in any State. The Congress (I) believes in periodical elections whenever they are required. The Congress (I) party is not a shy party; it is a bold party which has fought elections and won elections. But the fact that the Congress (I) might lose elections at some stage should not be the criterion for calling for an election. Election held must be free, fair and independent. That is what the Congress (I) always wanted to ensure. In Manipur also, when election is held, it will be free and fair as was the case in the past. It has to be further tightened. I feel that when the Municipalities Act, the Nagarpalikas Act and the Urban Corporation Council Act, which are being contemplated are enacted, elections to the Assembly will be much more disciplined because all the people will have more and more involvement in the process. Without the support of the people, none of the problems or the difficulties being faced by the people of these areas where you find insurgency can be solved. It is the will of the people which will last long. I thank you very much for giving me this opportunity. I don't want to take much of your time because I know the time is short. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now, Shri Kulabidhu Singh. Mr. Singh, since you hail from the State of Manipur, I leave it to you as to how much time you would like to take.

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on this piece of legislation. The Manipur Municipalities Bill, 1994 is a progressive piece of legislation even though there are certain loopholes in a few sections to which I might like to draw your attention and the attention of the House. For most part of my life, I am in the Opposition. For 95% of my political life, I am in the Opposition. But still I cherish the concept of constructive opposition very much. This piece of legislation, as I submitted, is a progressive legislation and there is no reason why I should oppose this Bill.

Here I want to say a word of caution. What I submit is that this is a very hastily drafted Bill and 95% of the sections—there are 231 sections in this Bill—are copied from the earlier Manipur Municipalities Act, 1976. Even that was not a cautiously drafted Act. That was also a hastily drafted enactment. Ninety five per cent of the present Bill is also copied from the original Act. Even then, this legislation is in continuation of the implementation of the spirit of the Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992. A provision is made in the present Bill for reservation of seats for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the extent of one-third of the total number of seats. Reservation of one-third of the total seats to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, according to the total population of the municipality or the nagar Panchayat is a radical improvement over the previous legislation. It is a very progressive step. Here also I want to say a word of caution. Regarding reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes women in respect of Chairpersonship, in the Constitution

(Seventy-Third Amendment) Act and in the Manipur Panchayat Raj Act, 1994 we have provisions that one-third of the seats should be reserved for women and for chairpersonship to women. In the present Bill, this reservation of seats for chairpersonship is not defined. The "one-third" of the seats is not defined. Another retrograde measure is that for the reservation of seats for chairpersonship to women, it is said that the manner may be determined by the State Government. Here the State Government is given the discretion. It is a retrograde measure. Reservation of seats for women, the weaker sections and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the present conditions of the country is very essential. Of course, under section 17(3) of the Bill, there is a mention about reservation of chairpersonship to women but not one-third of the seats. That is not mentioned, that is omitted. I apprehend that women will not be able to get a fair share in the present Municipalities Bill as is available in the case of Panchayats. That is another big loophole.

Sir, there are 231 clauses and 15 Chapters in this Bill. Under Clause 202, the power given to the Deputy Commissioner is very wide. This is a very undemocratic phenomenon. I would like to submit that some control may be there. But an over-all control is given to the Deputy Commissioner over the elected bodies—over the elected body of the Metropolitan Council, over the elected body of the Municipality, over the elected body of the Nagar Panchayat. So, the Deputy Commissioner under Clause 202 of the Bill is all-in-all. This must be amended. The spirit of democratic norms has been thrown away under this Clause 202.

Now, coming to the over-all control of the Deputy Commissioner, under Clause 203, the Government and the Deputy Commissioner can suspend any action taken by the Municipality, any action taken under a resolution passed unanimously by the Municipal Council. That action can be suspended by the Deputy Commissioner if he thinks that it is not in order. I do concede that there may be certain provisions under which the Deputy Commissioner and the Administrator may have some control as they are experienced people. But, they may be given some direction and guidance. But the power given to the Deputy Commissioner to suspend any action taken by the Municipality or any resolution passed by the Metropolitan Council is very undemocratic. This needs to be amended.

Then, I come to Clause 205—power to dissolve in certain cases. The power given under Clause 205 to dissolve the Nagar Panchayat or a Metropolitan Council is very arbitrary and undemocratic. Of course, under article 356 of the Constitution, even an Assembly can be dissolved by the President of India. There are very specified circumstances under which an Assembly can be dissolved, such as a complete collapse of the administrative machinery or the collapse of the constitutional governance of the State. Under those specific circumstances, the dissolution of an Assembly can be made. But, under Clause 205 of the present Bill, the dissolution of the Municipal Council, the dissolution of the Metropolitan Council can be done very easily when the Deputy Commissioner is of the opinion that the Muncipal Council is not competent in performing its responsibility. Such a wide power is given under this Clause. And such a wide power to dissolve the Municipal Council or the Metropolitan Council by the Deputy Commissioner is very arbitrary. This power can be exercised very sparingly when the Municipal administration collapses or the Municipal administration connot be carried on. But the power given to the Deputy Commissioner under section 205 is very, very wide and elastic. It is very arbitrary and undemocratic. It should be amended.

Now, by the way, there are also certain

very benign provisions regarding the State Finance Commission, under section 73. There is also mention about a District Planning Committee under section 207 and a Metropolitan Planning Committee under section 208. These are very benign provisions, and for the smooth functioning of the municiaplities and for meeting any financial difficulties of the municipalities or Nagar Panchayats, these Commissions and Committees should go to their aid. So, these are benign provisions of the Bill.

The last point I would like to mention is about the democratic process. As Mrs. Sushma Swaraj has also mentioned, once these municipal elections—Nagar Panchayat elections—are held, the question of election to the Manipur Assembly should be taken up. More particularly I would like to tell the Home Minister that while considering this Bill, a threat is posed by the Central Government over the people of Manipur by keeping the State Assembly under animated suspension. This is a very clear threat. And our State Congress (I) leaders are saying that they will be installing a Congress (I) Government there two or three months immediately before the next election. They are saying that two or three months immediately before the next election they will be having a Congress (I) Ministry in Manipur, that is why the Central Government is keeping the Assembly under animated suspension and such and such Ministers including the Prime Minister and the Home Minister have promised it. I do not believe that the hon. Home Minister as well as the hon. Prime Minister of India have given them a promise to foist a Congress (I) Ministry in Manipur. But the rumour is being spread in Manipur by the so-called Congress (I) State leaders over there that a Ministry will be formed two or three months immediately before the next election, for the misuse of official machinery for the purpose of election. This a very grave danger and threat to the people of Manipur. Therefore, I submit that the present Assembly which is kept under animated suspension should be immediately dissolved so that the people may not be frustrated because the nature of most of the members of the Legislative Assembly—I am speaking with the utmost responsibility at my command—is such that they are not worthy of being people's leaders. In a democracy, people are sovereign, and once elected it is not necessary that they should run for a full five-year term. If they denigrate the people, there is no reason to keep them for a term of five years. So, the people are sovereign. The people of Manipur do not like the present set—most of the MLAs—who are propagating that they will be forming a Government two or three months immediately before the next election.

Therefore, with this idea I support this Bill, which is a benign Bill. So, Sir, through you I request the hon. Home Minister that the present Assembly should be immediately dissolved to clear the decks.

Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही सूक्ष्म में अपने विचार रखूंगा। जहां तक मणिपुर नगरपालिका विधेयक का संबंध है मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस मांग को जरूर रखना चाहूंगा कि मणिपुर में जो विधान सभा है वह निलंबित है। एक ओर तो इस विधेयक के प्रावधान से हम इस बात की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मणिपुर में पंचायत नगरपालिका, महापालिका का चुनाव हो और दूसरी ओर वहां की जो विधान सभा है वह निलम्बित है। सरकार को इस ओर तेजी से प्रयास करना चाहिए और मैं भी यह मांग करता हूं कि जो वर्तमान निलम्बित विधान सभा है उसको भंग किया जाए और नये सिरे से चुनाव कराये जायें।

दूसरा अध्यादेश के जरिये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। पिछली बार जब बजट सत्र बुलाया गया था तो 13 मई तक के लिये बुलाया गया था। हमें जो कार्यवृत्त मिला हुआ है उसमें था कि 20 फरवरी से 13 मई तक संसद का सत्र चलेगा और 13 मई को जब संसद का सत्र स्थगित हुआ तो उस समय यह घोषणा की गयी कि हम लोग 13, 14

और 15 जून को मिलेंगे। लेकिन इस बीच में सरकार ने तीन अध्यादेश जारी कर दिये और मणिपुर के बारे में जो यह अध्यादेश जारी किया गया वह 24 मई को जारी किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी आपत्कालीन परिस्थितियां विद्यमान हुई जो पिछली 13 मई तक विद्यमान नहीं थी जो इस संबंध में विधेयक नहीं लाया गया। सरकार को जानकारी थी कि 13 मई को संसद का सत्र समाप्त होने जा रहा है। बजट सत्र 13 मई तक चला। इस तरह से संसद की उपेक्षा करके यह सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है जो कि उचित बात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 123 में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि अध्यादेश केवल आपत्कालीन स्थितियों में जारी किये जा सकते हैं। आपत्कालीन स्थितियों में सरकार को अधिकार दिया गया है। इस बार यह भी किया गया कि दोनों सदन 13, 14 और 15 जून तक के लिये स्थगित किये गये लेकिन इसी बीच लोक सभा का सत्रावसान किया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है जो इस तरीके से अध्यादेश के जरिये सरकार ने कानून बनाने की शक्ति प्राप्त की है, इसका दुरुपयोग किया है, मैं इसकी निन्दा करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Sir, I have got some suggestions on this Bill. Some time ago we passed the Panchayati Raj Bill, and I remember that we made a provision in that Bill that MPs would also be part and parcel of the panchayats. I went through the entire Bill, but I could not see its reflection in the Bill. The Central Government had proposed this some time back, and the Central Government itself is proposing this Bill also. I am surprised to see this. They should say something about it.

Sir, on page 2 there are definitions. The fifth definition is about "compound". I request the Minister to go through it again and explain it to us. It says:

> "comound" means land whether enclosed or not, appurtenance of a building or the common appurtenance of several buildings?"

So, he should explain and enlighten it to us.

I will move to page number 16, 17, 18 and 19 together. In section 31 on page No. 16, they are proposing that the State Government may remove by a notification in the Official Gazette, from office the Chairperson or the Vice-Chairperson, in pursuance of a resolution passed by a majority. Again the Government will issue a notification. I do not know why they are going again to the Government. I will tell you about the experience in Maharashtra. Such a type of provision was there. The resolution was passed in one of the municipalities. If I am not mistaken it was Nandavar Municipality. After the no-confidence motion was passed in the municipality, it was referred to the Government. The Government kept mum because their party President occupied the Chair. So, no decision was taken by the Government. After the Opposition parties brought in a resolution, they were forced to go to the court. The Court gave a decision against the Government. So, the Government took a decision only after the High Court intervened. So, such type of loopholes should not be there.

At page 17, Section 33, they have mentioned giving some emergency powers to the Chairperson. It is all right, but the definition of 'emergency' has not been given. When you do not define the emergency, then a lot of difficulties will arise. I am saying so on the basis of my experience in Maharashtra. In the Maharashtra Principal Act, Section 58 (2) says: 'In the case of emergency, the President enjoys the power and he can spend any amount for any emergency work. So, many Presidents misused this

power as 'emergency' has not been defined. So, sometimes they used this power while constructing a school building, which cost more than Rs. 50 lakhs or Rs. 1/- crore. Such things should not happen. Therefore, I say there should be a specific provision. Either you define 'emergency' as to in what cases the Chairperson will be in a position to use these powers. Otherwise you specify the limit of the amount to be spent by the Chairperson.

On the same page at Section 35, the decision about the remuneration of the Chairperson and the Vice-President is being left to the Council itself. We have had a very bad experience about it. You should specifically mention as to how much remuneration they should get.

Now, I come to pate 33, Section 76—The Tax on Government Holdings. I think there should be word of Central Government, because many times the concerned Central Government authorities do not give many powers to the local municipal authorities and they refuse to pay the taxes. So, a lot of litigations take place. Therefore, you should be very specific about it and you should mention about the Centre. Otherwise there will be misunderstanding.

On page 34, in Section 83—Determination of Rate of Tax on Holdings—you have mentioned about the rules. Actually, you must prepare the rules and give to municipality. Otherwise again there will be a problem.

Now I move on to page 64. In Section 203, you are giving the authority to the Deputy Commissioner. "The Deputy Commissioner may, by order in writing, suspend the execution of any act which is about to be done or is being done, in pursuance of..." Sir, I suggest that you do not give such powers to the bureaucrats. Many times you delegate powers to the Government and they exercise such powers. So, before giving such powers to them, the municipalities must be given a full hearing. Only after that such type of a decision should be taken. Otherwise their independence will be in jeopardy and the purpose of the Act will be defeated. Otherwise it has been very nicely drafted.

Lastly, at page 65, in Section 207, wherever there is any decision on any dispute between the local authorities, the Government will be the arbitrator. This is what you have suggested. My experience about the Government is that they do not take any decision in time and they keep silent. Many times the Government officers take political decisions and do not issue any order. Therefore, you fix up some time limit on the Government within which it must give its decision. I give you the example of the Thana Municipality. There we were going according to the rules and according to our opinion we were correct. When the case went for the arbitration of the Government, they kept mum, not for one or two days or six months, but for three years. At that time the cost of the structure went up by three times. So, this thing should not happen. He should be very careful about it.

Lastly, I would suggest that duration of the office of the chairman should be fixed. Thank you.

SHRI P.K. THUNGON: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to express by appreciation to all the Members who have taken part in the debate on this Bill.

This House is fully aware that as early as in 1989, the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, committed as he was to strengthening democracy at the grass-roots level, by accorded constitutional status to the Panchayats and Nagarpalikas. As a result fo wide-ranging discussions, Government of India introduced the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991 relating to muncipalities in the Lok Sabha on 16th September, 1991. The Bill was passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha in their winter session of 1992. After the Bill received the assent of the President, it

was published as the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992.

The foresaid Act introduce a new part, namely, Part IXA in the Constitution. This part deals with the issues relating to Muncipalities. The provisions of the Constitution (Amendment) Act *inter-alia* provide for constitution and composition of Municipalities, reservation of seats for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and women, constitution of Wards Committees, fixed term of five years and re-election within six months from the date of dissolution, powers, authorities and responsibilities of Municipalities, power to impose taxes and fees, constitution of Finance Commission and State Election Commission constitution of District Planning Committee and Metropoltian Planning Committee, etc.

Article 243 ZF of the Act provides that any provision of any law relating to municipalities in force in a State immediately before the commencement of the said Act,. which is inconsistent with the provisions of Part IXA of the Constitution, shall continue to be in force until repealed or amended by competent Legislature or until the expiration of one year period from the commencement of the said Act, whichever is earlier. In view of the commencement of the Constitution (74th Amendment) Act, 1992 from 1st June, 1993, the period of one year stands expired on 31st May, 1994.

Some of the provisions of the Manipur Municipality Act, 1976 which was in force up to 23rd May, 1994, were inconsistent with the provisions of the Constitution (74th Amendment) Act, 1992. In order to implement the above Act, the State of Manipur prepared a comprehensive new legislation, namely, the Manipur Municipalities Bill, 1994 replacing the Manipur Municipality Act, 1976.

The State of Manipur was brought under the President's rule on 31st December, 1993 under Article 356 of the Constitution. The powers of the Legislature of the State of Manipur have been declared to be exercisable by or under the authority of Parliament.

The proposal received from the Government of Manipur to make a comprehensive legislation on municipalities in Manipur in conformity with the Constitutional provisions was examined in my Ministry and it was decided to introduce a Bill to that effect in the Budget Session of Parliament. As the above Bill was to be examined in detail, the same could not be introduced in the Lok Sabha during the Budget Session due to paucity of time. Mr. Singh has stated that it has been brought in haste. I can assure him that we have taken enough time and we have considered it at great length. On the other hand, some of the hon. Members from that side have stated that it could have been done much earlier. I think that is automatically countered by Mr. Singh's statement. Since the necessary legislation in respect of the Manipur Muncicipalities was required to be enacted by 31st May, 1994, it was felt expedient to promulgate the necessary Ordinance.

In view of the above, the Manipur Municipalitles Ordinance, 1994 enabling the Government of Manipur to constitute the Manipur Municipalities in accordance with the provisions of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992 was promulgated.

(The Deputy Chairman In the Chair

It is now proposed to replace the Manipur Municipalities Ordinance, 1994 by an Act of Parliament. The provisions of the Manipur Municipalities Bill, 1994 shall extend to the whole of the Manipur except the hill areas to which the Manipur (Hill Areas) District Council Act, 1971 extends or any area which is included in a cantonment under the Cantonment Act, 1924 by virtue of exceptions provided in Article 243 ZC of the Constitution and clause 1(2) of the Present Bill.

The main provisions of the aforesaid Bill are as follows:

(1) Constitution of three types of municipalities, viz., Nagar Panchayats for transitional areas, Municipal Council for smaller urban areas and Municipal Corporation for larger urban areas.

(2) Composition of Nagar Panchayats and Municipal Concils with elected persons and persons having special knowledge and experience in Municipal Administration.

5.00 P.M.

(3) Wards Committees will be set up in respect of Municipalities having a population of three lakhs or more.

(4) Reservation of seats for SC/ST in Municipalities in proportion to their population.

(5) Reservation of not less than 1/3rd of the total number of seats (including that of reserved seats) for women.

(6) Reservation of Office of Chairpersons of Municipality for SC/ST and Women in the manner prescribed by the State Government.

(7) Fixed term of five years and limiting the period of dissolution of Municipalities to six months.

(8) Setting up of State Finance Commission to review the financial position of the Municipalities and to make recommendations to the Governor.

(9) Setting up of State Election Commission for superintendence, direction and conduct of Elections to the Municipalities.

(10) Setting up of District Planning Committees to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the District and to prepare a draft development plan for the District as a whole.

(11) Setting up of Metropolitan Planning Committees to prepare draft development plans.

The Bill seeks to enact a comprehensive legislation on Municipalities in relation to the State of Manipur on matters mentioned above.

I am thankful to Mr. Singh and Mr. Pradhan for going into the details of the Bills. There are some loopholes and some suggestions are given by them. In fact, the Manipur Legislative Assembly is competent to amend this Bill once the Assembly is set up there. Therefore, those things which are required in the interest of the Municipalities and also in the interest of the people of Manipur. Those can be considered by the Manipur Legislative Assembly. Thank you very much.

उपसभापति: संघ प्रिय जी, आप बोलेंगे? अब रिप्लाय के लिए क्या रह गया है?

श्री संघ प्रिय गौतम: दो लाइन।

उपसभापति: ठीक है।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति जी, सदन की परंपरा यह रही है कि चर्चा के लिए तो निरनुमोदन के लिए और अध्यादेश के विरोध में बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर वापिस ही ले लेते हैं, लेकिन मैं विनम्र शब्दों में सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि जब वे उस दरवाजे से निकलें जहां पर कि सर्वपल्ली डा० राधाकृष्ण, जी की फोटो लगी हैं, उसके उघर जो लिखा है, वह उसे पढ़ लें।

"सत्यं वद, धर्म चर"

यह वहां लिखा हुआ है। यह कहें कि राजनीति को धर्म के अनुसार चलाएगें और सत्य बोलेंगे और भविष्य में कोई अध्यादेश ये नहीं लाएंगे, केवल अधिनियम लाएंगे जिस पर कि सदन में चर्चा हो। अगर वे यह विश्वास दें तो मैं अपने रिजाल्यूशन को वापिस ले सकता हूं।

उपसभापति: आप वापिस ले रहे हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, मैं चाहता हूं कि ये उसे पढ़कर आएं जो वहां लिखा हुआ है।

उपसभापति: गौतम जी, आप वापिस ले रहे हैं?

नहीं तो आय विल पुट इट टू वोट। आप वापिस ले रहे हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, मैं तो एश्योरेंस चाह रहा हूं मिनिस्टर साहब से।

उपसभापति: आप अभी मिनिस्टर से एश्योरेंस मांग रहे हैं बाहर जाने की कि बाकी लोगों से मांग रहे हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम: मंत्रीजी कहें तो सही।

उपसभापति: मंत्री थोड़े ही डायरेक्ट करेंगे कि बाहर जाओ और पढ़ लो। वह आप मुझसे कहिए। ...(*interruptions*)... Have you withdrawn?

श्री संघ प्रिय गौतम: आप इनसे कुछ कहलवाइए तो सही?

उपसभापति: क्या कहलवाऊं? मंत्रीजी आप जब बाहर जाएं तो पढ़ लीजिएगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, ये अध्यादेश राज के समाप्त करेंगे। अध्यादेश जहां तक संभव होगा कम-से-कम लाएंगे।

उपसभापति: आप ध्यान रखिएगा जो इन्होंने कहा कि कम-से-कम ऐसा मौका आए कि अध्यादेश आए और ज्यादा-से-ज्यादा यह मामला उसी जगह पर हो जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing your Resolution?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Yes.

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Thungon to vote; The question is:

> "That the Bill to provide for constitution and organisation of municipalities in the urban areas of Manipur and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 231 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. K. THUNGON: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have one small request to the House for ten minutes. We had discussions on five Ministries. It is a record because we never had so many discussions. The Members had made very valuable contributions. Now, the discussion on the Ministry of Health and Family Welfare is also there in the listed business. The Minister has said tnat he would get up and say something that he would take care of the suggestions which were made and he would look into them very seriously. We don't have time. So, we cannot have a full-fledged reply.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE—CONTD.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam Deputy Chairperson, I am thankful to all the Members who have taken part in the discussion on the Ministry of Health and Family Welfare. They have given valuable suggestions which will definitely help the Government in formulating its policies in future. While participating in the debate many Members have expressed their concern about some of the national programmes, specially the leprosy eradication programme, the blindness eradication programme, etc. I